/

<u>कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल</u>

क्रमांक / एफ–5 / 1351 / 2023 / 10–11 / 1032 भोपाल, दिनांक 14/02/2024

प्रेषक :–

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

**विषयः– खण्डवा एवं बुरहानपुर जिले में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 753L के तहत बोरेगांव बुजुर्ग से मुक्ताईनगर फोरलेन मार्ग निर्माण / चौड़ीकरण हेतु वन मण्डल खण्डवा की 10.6681 हेक्टेयर एवं वन मण्डल बुरहानपुर की 76.9028 हेक्टेयर कुल 87.5709 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत्। (प्रकरण क्रमांक / FP/MP/ROAD/156438/2022)**

संदर्भः– आपका का पत्र क्रमांक / 6-MPR 038/2023-BHO दिनांक 29.12.2023.

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

<u>**शर्ते–A**</u>

1– शर्त क्रमांक A(1) के पालन में आवेदक संस्थान ने वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि रू0 10,66,62,869 /– यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 17.01.2024 को जमा की जा चुकी है।

2– शर्त क्रमांक A (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 9,02,76,065 /– यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 17.01.2024 को जमा की जा चुकी है।

3– शर्त क्रमांक A (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि दिनांक 17.01.20024 को एड–हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।

4– शर्त क्रमांक A (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर, खण्डवा एवं बुरहानपुर का प्रमाण पत्र दिनांक 13.02.2024 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

5– शर्त क्रमांक A (5 से 8 तक) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

6– शर्त क्रमांक A (9) के पालन में ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file अपलोड कर दी गई है, जिसका ID No. 53592 है।

7— शर्त क्रमांक A (10) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

8— शर्त क्रमांक A (11) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया है।

9— शर्त क्रमांक A (12) के पालन में आवेदक संस्थान को कार्य करने की अनुमति जारी करने के उपरांत आपको पृथक से प्रेषित की जावेगी।

**शर्तें—B**

1— शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

2— शर्त क्रमांक (2) के पालन में प्रकरण में आपके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा।

3— शर्त क्रमांक (3) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

4— शर्त क्रमांक (4) से (16) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

**भवदीय**

14.02.24

**(एच.एस. मोहन्ता)**

पृ. क्रमांक / एफ—5 / 1351 / 2023 / 10—11 / 1033 भोपाल, दिनांक 14/02/2024

प्रतिलिपिः—

1— वन संरक्षक (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त, खण्डवा, मध्यप्रदेश।

2— वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, खण्डवा / बुरहानपुर, मध्यप्रदेश।

3— परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा, मध्यप्रदेश।की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

14.02.24

**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)**
**मध्यप्रदेश, भोपाल**

Form-I

(For linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Khandwa

No. 720

Dated 13/02/2024

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11- 9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **10.67** Ha. of forest land proposed to be diverted in favour of Project Director, PIU-Khandwa, National Highway of Authority of India, Govt. of India for 4-laning of Boregaon Buzurg to Muktainagar Section of NH-753L From Ch. 139-000 to Ch. 216-000 (Length 77-000 Km) Under Bharatmala Pariyojana in the State of Madhya Pradesh is passing through villages of Boregaon Buzurg of tehsil Pandhana in the district of Khandwa. It is further certified that:

a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **10.67** Ha. of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations, and meetings of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha (s). Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-I

b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.

c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

District Collector
Khandwa (M.P.)

Annexure-I

Form-I

(For linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Burhanpur

No 923

Dated : 13/02/2024

**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **76.9028** Ha. of forest land under Burhanpur Division (out of which 15.5985 Ha. is in Dahinala and Hasanpur Forest dwellers villages) proposed to be diverted in favour of National Highways of Authority of India, MORTH, Govt. of India for 4-laning of Boregaon Buzurg to Muktainagar Section of NH-753L From Ch. 139-000 to Ch. 216-000 (Length 77-000 Km) Under Bharatmala Pariyojana in the State of Madhya Pradesh is passing through villages of Dahinala, Hasanpura & Ashir of tehsil Nepanagar and Village Jhiri of tehsil Burhanpur both in the district of Burhanpur. It is further certified that:

a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **76.9028** Ha. of forest area under Burhanpur division proposed for diversion. A copy of records of all consultations, and meetings of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha (s). Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-

b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.

c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

d) The work will be started only after disbursement of compensation to the forest dwellers in Dahinala and Hasanpura forest villages in 15.5985 Ha.

Encl: As above.

कलेक्टर

District Collector
Burhanpur (M.P.)

Assistant Commissioner
Janjatiy Kary Vibhag,
BURHANPUR (M.P.)

वनमंडलाधिकारी
बुरहानपुर (सा.) वनमंडल